Pioneer, Ranchi, 12/09/2025
Page No: 2, Size: 5.11cm × 22.62cm

NHRC notice to DC, SSP and CMD BCCL over Sept 5 mines accident

PANKAJ : DHANBAD

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the deputy commissioner and senior superintendent of police(SSP) as well as to the CMD of BCCL and has called for an Action Taken Report following two major accidents earlier this month in BCCL claiming lives of several persons.

The notice has been served owing complaint of Uttam Mukharjee, former chairperson of Child Rights committee, who in his complaint has alleged that illegal coal mining and violation of safety rules by an outsourced company authorised by BCCL near Butu Babu Bungalow, Ramkanali area, Baghmara block, Dhanbad, caused a major accident on September 5 claiming six lives when a heavy vehicle carrying contract workers fell about 300 feet into the water and in another incident that took place simultaneously, several houses collapsed causing injuries and loss of property. It has been alleged that The company was not following safety standards, roads happen to be unsafe, and blasting is done carelessly.

Prabhat Khabar, Dhanbad, 12/09/2025
Page No: 2, Size: 8.10cm × 9.23cm

कांटापहाड़ी हादसे का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, रिपोर्ट मांगी

- बुटु बाबू बंगला के पास बना था गोफ
- कांटापहाड़ी में सात की हुई थी मौत

वरीय संवाददाता, धनबाद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पांच सितंबर 2025 को बाघमारा प्रखंड के रामकनाली क्षेत्र स्थित बुटु बाबू बंगला के पास अवैध कोयला खनन व सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से हुई दुर्घटना मामले में संज्ञान लिया है. आयोग के पास 10 सितंबर 2025 को शिकायत प्रस्तुत की गयी थी. इसमें आरोप लगाया गया कि बीसीसीएल से अधिकृत एक आउटसोर्स कंपनी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था. कंपनी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही थी. शिकायत में बताया गया कि रामकनाली क्षेत्र में पांच सितंबर को दो गंभीर हादसे हुए थे. इसमें कई घर ध्वस्त हो गए. वहीं दूसरी घटना में आउटसोर्सिंग कंपनी के श्रमिकों से भरा एक वाहन 300 फीट गहराई में पानी में गिर गया. वहीं अवैध खनन, हेवी विस्फोट की घटनाओं से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गयी है.

आयोग ने प्रारंभिक तौर पर शिकायत को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयोग के सदस्य प्रियांक कन्नूगो की अध्यक्षता में यह मामला धारा 12 के तहत लिया गया है. आयोग ने डीजी को निर्देश दिया है कि वे तथ्य एकत्र कर 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. वहीं उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है.

Prabhat Khabar, Dhanbad, 12/09/2025
Page No: 2, Size: 8.10cm × 9.23cm

कांटापहाड़ी हादसे का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, रिपोर्ट मांगी

- बुटु बाबू बंगला के पास बना था गोफ
- कांटापहाड़ी में सात की हुई थी मौत

वरीय संवाददाता, धनबाद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पांच सितंबर 2025 को बाघमारा प्रखंड के रामकनाली क्षेत्र स्थित बुटु बाबू बंगला के पास अवैध कोयला खनन व सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से हुई दुर्घटना मामले में संज्ञान लिया है. आयोग के पास 10 सितंबर 2025 को शिकायत प्रस्तुत की गयी थी. इसमें आरोप लगाया गया कि बीसीसीएल से अधिकृत एक आउटसोर्स कंपनी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था. कंपनी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही थी. शिकायत में बताया गया कि रामकनाली क्षेत्र में पांच सितंबर को दो गंभीर हादसे हुए थे. इसमें कई घर ध्वस्त हो गए. वहीं दूसरी घटना में आउटसोर्सिंग कंपनी के श्रमिकों से भरा एक वाहन 300 फीट गहराई में पानी में गिर गया. वहीं अवैध खनन, हेवी विस्फोट की घटनाओं से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गयी है.

आयोग ने प्रारंभिक तौर पर शिकायत को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयोग के सदस्य प्रियांक कन्नूगो की अध्यक्षता में यह मामला धारा 12 के तहत लिया गया है. आयोग ने डीजी को निर्देश दिया है कि वे तथ्य एकत्र कर 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. वहीं उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है.

Aaj Tak

'मछली' प्रेम पर सियासी बवाल... आरोपों में फंसे BJP विधायक के भतीजे, MP के पूर्व मंत्री पर ठोका मानहानि का दावा

https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/bjp-mla-nephew-issues-legal-notice-to-kamleshwar-patel-over-machli-links-lcln-dskc-2330688-2025-09-11

11 सितंबर 2025, 1:56 PM

MP News: भोपाल में ड्रग्स तस्करी, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपों से घिरे कुख्यात 'मछली परिवार' से जुड़े एक मामले ने सियासी रंग ले लिया है. यह विवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो के हालिया X पोस्ट से भड़का.

MP News: राजधानी भोपाल के कुख्यात 'मछली परिवार' से अपना नाम जोड़े जाने पर BJP विधायक के भतीजे ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री को घेर लिया है. सीधी जिले की सिहावल सीट से बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे जैनेंद्र पाठक ने कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल को कानूनी नोटिस भेजा है.

जैनेंद्र पाठक ने कानूनी नोटिस सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, "राजनीति में हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रचलन रहा है. लेकिन राजनेता हमेशा से तथ्यों के आधार पर ही अपनी बात रखते रहे हैं. व्यक्तिगत आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जानकारी जरूर ली जाती है.

मैंने आपका बयान और आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सुना और देखा. आपने बिना तथ्य और किसी पुख्ता जानकारी के मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं. पहले मैंने सोचा कि आपकी इस ओछी हरकत का जवाब नहीं दूंगा. लेकिन आप जब लगातार बयानबाजी करने लगे हैं, तो जवाब देना जरूरी हो गया है.

मै और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. हम कभी भी किसी अपराध या अपराधी को बढ़ावा नहीं देते हैं. लेकिन आपकी पार्टी और आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मोहरा बनाकर हमारी पार्टी और राज्य की न्यायप्रिय मोहन यादव सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया है. जिसके लिए मैं अपने एडवोकेट के जरिए आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूं. या तो आप सार्वजनिक रूप से अपने दिए गए बयान को तत्काल वापस लेते हुए माफी मांगें, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए."

NHRC सदस्य के हालिया X पोस्ट से भड़का विवाद

बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जैनेंद्र पाठक पर गंभीर आरोप लगाए थे. प्रियंक कानूनगो ने X पर लिखा, "मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया. मुझसे मिलकर बोला कि वह भोपाल

वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है और उसकी तरफ से आया है, उसका बहुत नुकसान हो गया है उसको छोड़ दीजिए."

कानूनगो ने आरोप लगाया कि जैनेंद्र पाठक ने प्रॉपर्टी डील के नाम पर उनको लालच देने की कोशिश भी की. वह अपने साथ मिठाई का डिब्बा भी लाया था और भेंट स्वरूप देना चाहता था. लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार करते हुए आरोपी को बाहर निकलवा दिया. बताया जाता है कि वह मिठाई का डिब्बा दरवाजे पर ही छोड़कर वहां से भाग गया. अब दिल्ली पुलिस ने मिठाई का डिब्बा जब्त कर जांच शुरू कर दी है."

कमलेश्वर पटेल लिखा पोस्ट

इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने लिखा था, "आखिर क्यों भाजपा विधायक का भतीजा, लव जिहाद और ड्रग्स माफिया के आरोपी 'मछली' को बचाने के लिए दिल्ली में सिफारिश कर रहा है?"

कौन है 'मछली परिवार'

बता दें कि राजधानी भोपाल के 'मछली परिवार' पर ड्रग्स की तस्करी और ब्लैकमेलिंग के गोरखधंधे में शामिल रहने के आरोप हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह परिवार न सिर्फ ड्रग्स सप्लाई में शामिल रहा है, बल्कि प्राइवेट कॉलेज के 'लव जिहाद' मामले में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में भी उसकी भूमिका सामने आई है.

मछली परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें ड्रग्स की तस्करी, यौन शोषण और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं.

ड्रग्स की तस्करी मामले में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को भोपाल क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था. तलाशी में उनके पास से तीन ग्राम एमडी ड्रग और एक देशी पिस्तौल बरामद हुई थी.

भोपालद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमों ने ड्रग्स की तस्करी के कारोबार में शामिल होने के आरोपी 'मछली' परिवार की करोड़ों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया.

Hindustan

कबाड़ी बाजार में छापा मारकर देह व्यापार का धंधा पकड़ा, 21 युवतियां बरामद

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/meerut/story-police-raid-in-meerut-s-kabadi-market-uncovers-human-trafficking-operation-201757628760546.amp.html

Thu, 12 Sept 2025, 03:42:AM Dr. Vipin Tada

Meerut News - मेरठ के कबाड़ी बाजार में देह व्यापार के लिए बदनाम कोठों पर छापेमारी की गई। मिशन मुक्ति फाउंडेशन और मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक ने एसएसपी से शिकायत की थी। पुलिस ने कार्रवाई में 21 युवतियों, 5...

मेरठ के कबाड़ी बाजार इलाके में देह व्यापार के लिए बदनाम कोठों पर दोबारा जिस्मफरोशी कराई जा रही है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक ने एसएसपी मेरठ से शिकायत की। सीओ कैंट के नेतृत्व में टीम बनाकर गुरुवार रात छापेमारी कराई। 40 पुलिसकर्मियों की टीम ने दो घंटे की कार्रवाई में पांच कोठा संचालिका, चार दलाल और एक ग्राहक के अलावा 21 युवतियों को बरामद किया। ब्रह्मपुरी थाने में नौ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया 2019 में एडवोकेट सुनील चौधरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मेरठ के कबाड़ी बाजार में सभी 58 कोठों को बंद करने का आदेश दिया था।

कोठा संचालिकाओं ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि देह व्यापार नहीं कराएंगी और कोठे खोलने की अनुमति मांगी। 2023 में 15 कोठे खोलने की अनुमति दी गई। कोठे खोलने के बाद यहां देह व्यापार कराया जाने लगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक ने इस जानकारी पर एसएसपी को पत्र लिखा। एसएसपी ने सीओ कैंट के नेतृत्व में एएचटीयू, महिला थाने से 40 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई। टीम ने गुरुवार रात कोठों पर दबिश दी। यहां से पांच युवकों को पकड़ा। किशोरियों और युवतियों सहित 21 महिलाएं पकड़ी गईं। यह राजस्थान, आसाम और नेपाल की रहने वाली हैं। इनके साथ कुछ बच्चे भी थे। सभी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने लाया गया। इनमें चार कोठा संचालिका और चार दलाल हैं। एक ग्राहक भी था। ब्रह्मपुरी थाने में इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की ओर से मुकदमा कराया गया है। जो भी किशोरी हैं, उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था यह काम मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया जिस जगह पुलिस ने छापा मारा वहां मौके पर चौकी भी है। बावजूद इसके कोठे पर देह व्यापार चल रहा था। कहना इनका... कबाड़ी बाजार के कोठों पर देह व्यापार की शिकायत मिली थी। सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर दबिश कराई गई है। नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद युवतियों और महिलाओं को कोर्ट के सामने पेश कराया जाएगा।

Janta se Rishta

NHRC ने E-कॉमर्स पर प्रतिबंधित चाकू बिक्री पर तुरंत कार्रवाई का दिया आदेश

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-orders-immediate-action-on-sale-of-banned-knives-on-e-commerce-nhrc-e--426068

12 Sept 2025 12:16 AM Shiddant

DELHI दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने 'अमेजनडॉटइन' पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'अमेजनडॉटइन' पर खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो भारतीय कानूनों, विशेष रूप से आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध है। उनका कहना था कि ये चाकू सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत पर गम्भीरता से विचार करते हुए धारा 12 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने आरोपों को 'प्रारंभिक रूप से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन' के रूप में देखा और मंत्रालय के सचिव को जांच करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत जांच होनी चाहिए। आयोग ने संबंधित मंत्रालय को यह आदेश भी दिया कि वे इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। इस मामले की जानकारी आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी दी गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 'अमेजनडॉटइन' पर बिक रहे ये चाकू न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं, बल्कि ये स्थानीय कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों की बिक्री से स्थानीय बाजारों में हिंसा और अपराध को बढ़ावा मिल सकता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि इस मामले में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और शीघ्र पूरी हों।

Dainik Bhaskar

व्यापार: एनएचआरसी ने 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म' पर प्रतिबंधित चाकू बेचने के मामले में दिया त्वरित कार्रवाई का आदेश

https://www.bhaskarhindi.com/other/news-1185328

12 Sept 2025 12:12 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने 'अमेजनडॉटइन' पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने 'अमेजनडॉटइन' पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'अमेजनडॉटइन' पर खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो भारतीय कानूनों, विशेष रूप से आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध है। उनका कहना था कि ये चाकू सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत पर गम्भीरता से विचार करते हुए धारा 12 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने आरोपों को 'प्रारंभिक रूप से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन' के रूप में देखा और मंत्रालय के सचिव को जांच करने का निर्देश दिया।

आयोग ने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत जांच होनी चाहिए। आयोग ने संबंधित मंत्रालय को यह आदेश भी दिया कि वे इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। इस मामले की जानकारी आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी दी गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 'अमेजनडॉटइन' पर बिक रहे ये चाकू न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं, बल्कि ये स्थानीय कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों की बिक्री से स्थानीय बाजारों में हिंसा और अपराध को बढ़ावा मिल सकता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि इस मामले में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और शीघ्र पूरी हों।

NAI

NHRC seeks report on fatal mines accidents in Jharkhand

https://newsarenaindia.com/states/nhrc-seeks-report-on-fatal-mines-accidents-in-jharkhand/56064#google_vignette

September 11, 2025, 06:32 PM

The notices followed a complaint by ex-Child Rights Committee chief Uttam Mukherjee, alleging safety lapses and illegal mining caused the accidents.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner and Senior Superintendent of Police of Dhanbad, as well as to the Chairman-cum-Managing Director of Bharat Coking Coal Limited (BCCL), seeking an Action Taken Report within seven days over two fatal incidents reported earlier this month in Baghmara block.

The notices were issued after a complaint filed by Uttam Mukherjee, former chairperson of the Child Rights Committee, who alleged that violations of safety norms and illegal mining activities led to the tragic accidents. According to the complaint, on September 5, a vehicle carrying contractual workers plunged nearly 300 feet into water near Butu Babu Bungalow in Ramkanali area, resulting in six deaths.

In a parallel incident, several houses in the vicinity collapsed, causing injuries and property loss.

Mukherjee alleged that the outsourced company engaged by BCCL was operating without adhering to safety standards. He further claimed that roads were unsafe, blasting was carried out recklessly, and coal mafias were involved in illegal mining operations, including the reported use of child labour. The complaint stated that these practices not only caused the accidents but also posed a continuous threat to human lives and constituted serious violations of human rights.

Taking cognizance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC bench led by member Priyank Kanoongo directed its registry to issue notices to the concerned authorities. The Commission has sought a detailed inquiry into the allegations and a status report on the action taken within a week.

The notice was served by Brijvir Singh, Assistant Registrar (Law) of NHRC, in compliance with the Commission’s directive.

Tribune India

Court rejects plea for narco-analysis of two accused of harbouring Pahalgam attackers

https://www.tribuneindia.com/news/bashirahmadjothatd/court-rejects-plea-for-narco-analysis-of-two-accused-of-harbouring-pahalgam-attackers

03:17 AM Sep 12, 2025 IST

The court ruled that the “scientific techniques” will violate the right against self-incrimination

A special court rejected the plea of National Investigation Agency (NIA) for narco-analysis and polygraph test of two persons arrested in the Pahalgam terror attack case.

The court rules that the “scientific techniques” would violate the right against self-incrimination. The two accused were identified as Bashir Ahmad Jothatd and Parvaiz Ahmed. The terror attack of April 22 in which 26 people civilians were killed drew criticism from across the world. Different countries expressed solidarity with India in wake of the dastardly attack after which the country launched “Operation Sindoor” attacking terror infrastructure in Pakistan. Bashir and Parvaiz were arrested for providing shelter to terrorists involved in the Pahalgam attack.

“Today, both the accused have been produced in a court. Both have submitted in the open court that they are not willing to undergo polygraph or narco analysis test,” the court stated in its six page order.

While the order was passed on August 29, its details came to the light only on Thursday. As per the order, the NIA’s chief investigating officer approached the court seeking permission to conduct a polygraph test and narco analysis of the two accused.

The Deputy Legal Aid Defence Counsel rebutted the NIA’s claims that Jothatd and Ahmed had voluntarily agreed to tests. The counsel stated that the NIA’s plea be rejected because “no voluntary consent statement of the accused in the custody of prisoners was taken by the agency”.

“Involuntary administration of the scientific techniques such as narco-analysis and polygraph examination test will violate the ‘right against self-incrimination enumerated’ in the Constitution,” the court stated while dismissing the NIA’s plea.

In the order, the court also cited a Karnataka High Court judgment and National Human Rights Commission guidelines on polygraph test, narco analysis and brain electrical activation profile. According to the guidelines, the consent of the accused for such

scientific tests should be recorded before a judicial magistrate and the actual recording of a lie detector test be done by an independent agency, like a hospital, and conducted in front of lawyers.

As per NIA, the two accused knowingly harboured three armed terrorists at a seasonal dhok (temporary shelter of nomadic) at the Hill Park before the attack targeting tourists in the Baisaran valley in the upper reaches of Pahalgam. “The two men provided food, shelter and logistical support to the terrorists, who had, on April 22 afternoon, selectively killed tourists based on their religious identity, making it one of the most gruesome terrorist attacks ever. Both Parvaiz and Bashir have been arrested under Section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Further probe in the case is going on,” the NIA had stated after their arrest.

Law Chakra

J&K Court Denies NIA Request for Polygraph and Narco Tests in Pahalgam Terror Case

https://lawchakra.in/other-courts/nia-polygraph-narco-tests-pahalgam-terror/?amp=1

Sep 12, 2025 IST Hardik Khandelwal

Jammu and Kashmir court has rejected the NIA's plea to conduct polygraph and narco analysis on two men arrested in the Pahalgam terror attack, stating it would violate their right against self-incrimination. The accused had earlier consented, but the court upheld constitutional protections.

Srinagar: A special court in Jammu has turned down the National Investigation Agency's (NIA) request to conduct a polygraph test and narco analysis on two men arrested in connection with the April 22 Pahalgam terror attack.

The court ruled that using these "scientific techniques" would go against the fundamental right against self-incrimination guaranteed under the Constitution.

The NIA had claimed that the accused had themselves given consent for the two tests, arguing that they wanted to prove their innocence. However, when the court summoned them, both contradicted the agency's statement.

The accused – Bashir Ahmad Jothatd and Parvaiz Ahmed – were arrested on June 26 for allegedly giving shelter to the terrorists who carried out the brutal attack.

The court's six-page order noted:

"Today, both the accused persons have been produced…Both the accused persons have submitted in open court that they are not willing to undergo polygraph or narco analysis test."

The order, passed on August 29 but revealed only now, shows that the NIA's chief investigating officer had formally approached the court for permission to conduct the tests.

The defence counsel strongly opposed the plea. The Deputy Legal Aid Defence Counsel argued that the NIA's claim of voluntary consent was false, pointing out that

"no voluntary consent statement of the accused in the custody of prisoners was taken by the agency."

The court agreed with this objection and ruled:

"…involuntary administration of scientific techniques such as narco-analysis, polygraph examination test would violate the 'right against self-incrimination enumerated' in the Constitution."

In support of its reasoning, the court referred to a Karnataka High Court judgment and also cited National Human Rights Commission (NHRC) guidelines on the use of polygraph tests, narco analysis, and brain electrical activation profile.

The NHRC guidelines make it clear that consent for such tests must be recorded before a judicial magistrate, and the tests must be carried out by an independent agency such as a hospital, under the observation of lawyers, with the entire process recorded.

According to the NIA, the two arrested men knowingly sheltered three armed terrorists at a seasonal dhok (hut) located at Hill Park before the massacre in Jammu and Kashmir's Baisaran valley, near Pahalgam.

The agency stated:

"The two men had provided food, shelter and logistical support to the terrorists, who had, on April 22 afternoon, selectively killed the tourists based on their religious identity, making it one of the most gruesome terrorist attacks ever. Both Parvaiz and Bashir have been arrested under Section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Further investigation in the case is going on."

On April 22, terrorists stormed into Baisaran meadows, popularly called "mini Switzerland," and opened fire on tourists.

Twenty-six people were killed in the attack, including 25 tourists from different states and a local, Syed Adil Shah, who had tried to save the visitors by bravely attempting to snatch a weapon from one of the attackers.

A month later, on July 28, the army neutralised all three terrorists who had carried out the killings.

New Indian Express

J-K court rejects NIA plea for polygraph, narco analysis of Pahalgam attack accused

https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Sep/11/j-k-court-rejects-nia-plea-for-polygraph-narco-analysis-of-pahalgam-attack-accused-2

11 Sep 2025, 5:15 pm

In the order, the court cited a Karnataka High Court judgment and National Human Rights Commission guidelines on polygraph test, narco analysis and brain electrical activation profile.

JAMMU: A special court here has rejected the NIA's plea for a polygraph test and narco analysis of the two men arrested in connection with the Pahalgam terror attack, ruling that the "scientific techniques would violate the right against self incrimination.

The National Investigation Agency, which took over the case five days after the April 22 terror attack that killed 26 people, had informed the court that the accused had given their consent to the two tests to prove their innocence.

However, Bashir Ahmad Jothatd and Parvaiz Ahmed, who were summoned, contradicted the NIA's claim.

They had been arrested on June 26 on charges of allegedly providing shelter to the terrorists involved.

"Today, both the accused persons have been produced... Both the accused persons have submitted in open court that they are not willing to undergo polygraph or narco analysis test," the court said in its six page order.

According to its August 29 order, the details of which have come to light only now, the NIA's chief investigating officer approached the court seeking permission to carry out a polygraph test and narco analysis of the two.

The Deputy Legal Aid Defence Counsel also rebutted the NIA's claims that the Jothatd and Ahmed had voluntarily agreed to the tests.

It asked that the NIA's plea be rejected because "no voluntary consent statement of the accused in the custody of prisoners was taken by the agency."

"... involuntary administration of scientific techniques such as narco-analysis, polygraph examination test would violate the 'right against self-incrimination enumerated" in the Constitution," the court said while dismissing the NIA's plea.

In the order, the court also cited a Karnataka High Court judgment and National Human Rights Commission guidelines on polygraph test, narco analysis and brain electrical activation profile.

According to the guidelines, the consent of the accused for such scientific tests should be recorded before a judicial magistrate and the actual recording of a lie detector test be done by an independent agency, like a hospital, and conducted in front of lawyers.

According to the NIA, the two arrested knowingly harboured three armed terrorists at a seasonal dhok (hut) at the Hill Park before the attack targeting tourists in the picturesque Baisaran valley in the upper reaches of Jammu and Kashmir's Pahalgam town.

"The two men had provided food, shelter and logistical support to the terrorists, who had, on April 22 afternoon, selectively killed the tourists based on their religious identity, making it one of the most gruesome terrorist attacks ever.

"Both Parvaiz and Bashir have been arrested under Section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Further investigation in the case is going on," the NIA had said in a statement after their arrest.

On that day, terrorists attacked tourists at Baisaran meadows, also known as mini Switzerland, and killed 26 people -- 25 tourists belonging to different states and a local Syed Adil Shah who attempted to save tourists by snatching the rifle of one of the attackers.

On July 28, the army eliminated all the three terrorists who were involved.